सं. 13024/1/2008-प्रशि.।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(प्रशिक्षण प्रभाग)

ब्लॉक नं.IV, तीसरा तल,
पुराना जे.एन.यू. परिसर,
नई दिल्ली-110067.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – प्रशिक्षण भत्ता और सत्कार भत्ता की दर का संशोधन ।

संदर्भ : का.ज्ञा. सं. 12017/2/86-प्रशि.(टीएनपी) दिनांक 31.3.1987,
12017/2/86-प्रशि. दिनांक 9.7.1992 तथा
13024/6/99-प्रशि.।। दिनांक 30.11.1999.

सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति 1.9.2008 से प्रशिक्षण अकादमियों और स्टाफ कालिजों में प्रशिक्षण भत्ता तथा सत्कार भत्ता के विनियम को निम्नलिखित तरीके से अपना अनुमोदन प्रदान करती हैं :

प्रशिक्षण भत्ता

(i) का.ज्ञा. सं. 12017/2/86-प्रशि. दिनांक 9.7.1972 के संशोधन में प्रशिक्षण भत्ता समूह 'क' अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण अकादमियों और संस्थानों में स्थायी संकाय को छोड़कर संकाय सदस्यों के रूप में कार्यरत सरकार, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से आहरित किए गए प्रशिक्षकों के लिए मूल वेतन का 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा ।

(ii) प्रशिक्षण भत्ता लेने की स्थिति में प्रशिक्षकों को अलग प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा ।

(iii) प्रशिक्षण भत्ता प्रशिक्षक के प्रशिक्षण गतिविधियों से सम्बन्धित अध्ययन या दौरा पर रहने की अवधि के लिए आहरित किया जाना जारी रहेगा ।

(iv) अन्य प्रशिक्षण संस्थापनाओं के लिए प्रशिक्षण भत्ता की दर में परिवर्तन नहीं होगा ।

(v) इस विभाग के दिनांक 31.3.1987 के का.ज्ञा. में प्रशिक्षण भत्ता से सम्बद्ध अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

<u>सत्कार भत्ता</u>

(i) का.ज्ञा. सं. 13024/6/99-प्रशि.।। दिनांक 30.11.1999 के अधिक्रमण में सत्कार भत्ता बढ़कर समूह 'क' अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापनाओं के निदेशक या अध्यक्ष के लिए 3500/- रुपये प्रति माह होगा ।

(ii) सत्कार भत्ता अब पाठ्यक्रम निदेशकों और परामर्शदाताओं को क्रमश: 2500/- रुपये और 2000/- रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा ।

संशोधित वेतन ढांचा में <u>'मूल वेतन'</u> का अर्थ निर्धारित वेतन बैंड और लागू ग्रेड वेतन को मिलाकर आहरित वेतन है, परन्तु इसमें विशेष वेतन इत्यादि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत-व्यक्तियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

3. ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

(विनीत पांडेय)
निदेशक (प्रशिक्षण)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

(मानक डाक-सूची के अनुसार और इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. का व्यापक प्रसार किया जाए ।)